

[ 12 जून 2025 ] को अंतिम बार अपडेट किया गया।

## NSDL पेमेंट्स बैंक प्रीपेड GPR कार्ड - नियम एवं शर्तें

यहां उल्लिखित नियम एवं शर्तें (इसके बाद "नियम एवं शर्तें" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)

"GPR प्रीपेड कार्ड" के उपयोग पर लागू होती हैं और इसके उपयोग से पहले इन्हें स्वीकार करना

और इनसे सहमत होना आवश्यक है। नीचे दिए गए नियम और शर्तें आपके और NSDL पेमेंट्स

बैंक के बीच "प्रीपेड कार्ड" के संबंध में संपूर्ण समझौते और/या व्यवस्था को निर्धारित करती हैं,

जिसे समय-समय पर NSDL पेमेंट्स बैंक के विवेक पर संशोधित किया जा सकता है। "GPR

प्रीपेड कार्ड" प्राप्त करने के लिए साइन-अप प्रक्रिया पूरी करके, यह माना जाता है कि आपने यहां

उल्लिखित प्रत्येक नियम एवं शर्त को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है और स्वीकार कर

लिया है। आप यहां दिए गए और NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा अपने विवेक पर समय-समय पर

संशोधित किए गए सभी नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

### I. परिभाषाएँ

इन नियमों और शर्तों में, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वही होंगे जो यहाँ नीचे दिए गए हैं, जब

तक कि संदर्भ में अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

1. "NSDL पेमेंट्स बैंक" यानि NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अर्थ

में एक बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(सी) के अर्थ में भी एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, 401, चौथी मंजिल, टावर 3, वन इंटरनेशनल सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400013 में स्थित है।

2. "ग्राहक" या "कार्डधारक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो बैंक से PPI प्राप्त करता है/खरीदता है और उस कार्ड या वॉलेट में जमा राशि का उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं और पैसे भेजने (रेमिटेंस) आदि के लिए करता है।

3. "कार्ड" या "GPR प्रीपेड कार्ड" या "NSDL पेमेंट्स बैंक GPR कार्ड" या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) यानि भुगतान के ऐसे साधन है, जो उन साधनों में जमा राशि के बदले वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान के प्रीपेड साधनों के जारी करने पर मास्टर निर्देशों में परिभाषित किया गया है।

4. "इंटरनेट पेमेंट गेटवे" यानि NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा निर्धारित या निर्धारित किए जाने वाले वे नियम, जो ग्राहक के प्रमाणीकरण के बाद इंटरनेट के माध्यम से GPR प्रीपेड कार्ड द्वारा भुगतान को अधिकृत करते हैं।

ए. KYC यानि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों,

परिपत्रों और अधिसूचनाओं के अनुसार बैंक द्वारा ग्राहकों की पहचान और सत्यापन के लिए अपनाए गए "अपने ग्राहक को जानो" दिशानिर्देश। PPI मास्टर डायरेक्शन में उल्लिखित संबंधित सीमा के अनुसार GPR कार्ड फूल KYC और स्मॉल KYC ग्राहकों के लिए जारी किए जा सकते हैं।

5. "व्यापारी संस्थान" यानि भारत में स्थित ऐसे भौतिक संस्थान है, जिनमें स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल आदि शामिल हैं (लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), जो GPR प्रीपेड कार्ड स्वीकार करते हैं।

6. "भुगतान के चैनल" यानि लेन-देन के विभिन्न तरीकें, जिनमें EDC/POS टर्मिनल/कियोस्क/इंटरनेट पेमेंट गेटवे और NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए अन्य विभिन्न तरीके शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

7. "POS" या "पॉइंट ऑफ सेल" यानि भारत में स्थित व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, जहां ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग कर सकता है।

8. "शुल्क/फीस की अनुसूची" यानि NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और उसकी वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित फीस या शुल्क का विवरण, जिसमें समय-समय पर

संशोधन किया जा सकता है।

9. "लेनदेन" यानि ग्राहक द्वारा GPR प्रीपेड कार्ड पर भारत में किसी भी RuPay/VISA/मास्टरकार्ड से संबद्ध व्यापारी प्रतिष्ठान और बैंक ATM पर या इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी लेनदेन।

10. "लेनदेन की सीमा" यानि उस अधिकतम मूल्य की खरीदारी से है जो ग्राहक किसी व्यापारी संस्थान (दुकान) पर या इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके किसी भी दिन या NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधियों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि किसी भी स्थिति में यह राशि ग्राहक को जारी किए गए GPR प्रीपेड कार्ड में ट्रांसफर की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

II. नियम एवं शर्तों की प्रयोज्यता:

1. ये नियम एवं शर्तें, सामान्य नियम एवं शर्तों के साथ मिलकर, GPR प्रीपेड कार्ड के उपयोग के लिए ग्राहक और NSDL पेमेंट्स बैंक के बीच संपूर्ण अनुबंध का निर्माण करती हैं।

2. GPR प्रीपेड कार्ड किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को हस्तांतरणीय नहीं होगा।

3. GPR प्रीपेड कार्ड पर अपलोड की जा सकने वाली अधिकतम बकाया राशि ₹2,00,000/- (मात्र ₹2 लाख) और ₹100,000/- तक सीमित होगी। KYC के प्रकार (फूल KYC और स्मॉल KYC PPI) के अनुसार 10,000 (मात्र ₹ दस हजार)।

4. GPR प्रीपेड कार्ड केवल भारत की सीमा में और केवल भारतीय रुपये (₹) में लेनदेन के लिए मान्य होगा, यानि कि GPR कार्ड का उपयोग भारत की सीमा के बाहर या किसी भी विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के लिए नहीं किया जा सकता है।

5. ग्राहक को GPR प्रीपेड कार्ड प्राप्त होते ही, जहां भी लागू हो, उसके पीछे कि तरफ हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर न होने या हस्ताक्षर के मिलान न होने की स्थिति में, NSDL पेमेंट्स बैंक बिना किसी पूर्व सूचना या ग्राहक को सूचित किए, किसी भी लेनदेन को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. ग्राहक GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग ATM से कार्ड बैलेंस या लागू सीमा तक नकद (केश) निकालने के लिए कर सकता है।

7. NSDL पेमेंट्स बैंक GPR प्रीपेड कार्ड में जमा राशि पर किसी भी समय कोई ब्याज देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

### III. कार्ड जारी करना और उसका उपयोग करना

1. जहां भी लागू हो, KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद NSDL पेमेंट्स बैंक GPR प्रीपेड कार्ड जारी करेगा।

2. NSDL पेमेंट्स बैंक और व्यापारी संस्थान, ग्राहक को बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी कारण से GPR प्रीपेड कार्ड को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

3. GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग केवल वास्तविक व्यक्तिगत या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ययह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ व्यापारी संस्थानों के मामले में, लगने वाले शुल्कों में उन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अतिरिक्त सेवाओं या अन्य सुविधाओं का शुल्क भी शामिल हो सकता है।

4. किसी भी लेन-देन के संबंध में व्यापारी संस्थान द्वारा लिए जाने वाले किसी भी शुल्क या लागत का भुगतान ग्राहक को सीधे व्यापारी संस्थान को करना होगा। NSDL पेमेंट्स बैंक, मास्टर मर्चेन्ट की किसी भी कार्रवाई या चूक या उनके द्वारा लेन-देन के संबंध में लिए गए शुल्क या लागत के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

5. डिवाइस की खराबी या कम्युनिकेशन लिंक के कारण व्यापारी संस्थानों से संबंधित सभी रिफंड

और समायोजन की प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जाएगी और NSDL पेमेंट्स बैंक के लागू नियमों, विनियमों और आंतरिक नीति के अनुसार उचित सत्यापन के बाद ही कार्ड एकाउंट में राशि जमा की जाएगी। ग्राहक इस बात से सहमत है कि बाद के किसी भी लेनदेन को केवल कार्ड खाते में उपलब्ध क्रेडिट बैलेंस के आधार पर ही स्वीकार या मान्य किया जाएगा, जिसमें NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा विचाराधीन किसी भी विवादित राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ग्राहक, कार्ड एकाउंट में अपर्याप्त धनराशि के कारण भुगतान निर्देशों के अस्वीकृत होने से NSDL पेमेंट्स बैंक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक को बिना शर्त क्षतिपूर्ति करेगा। ग्राहक सहमत है कि NSDL पेमेंट्स बैंक को हुई ऐसी हानि या क्षति की राशि सीधे कार्ड एकाउंट से काटने का अधिकार होगा।

6. ग्राहक स्वीकार करता है कि किसी भुगतान के किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके किए गए असफल, वापस किए गए, अस्वीकृत या रद्द किए गए लेनदेन के सभी रिफंड GPR प्रीपेड कार्ड में जमा नहीं किए जा सकते हैं।

7. कार्डधारक GPR प्रीपेड कार्ड से संबंधित सभी लेन-देन में हर समय सद्भावना से कार्य करने का वचन देता है। ग्राहक यहाँ दिए गए नियमों और शर्तों के उल्लंघन में GPR प्रीपेड कार्ड के किसी भी अवैध या गलत उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और इसके अतिरिक्त, ग्राहक NSDL पेमेंट्स बैंक को ग्राहक द्वारा इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामना की जाने वाली किसी भी धोखाधड़ी, हानि, क्षति, ब्याज,

रूपांतरण या किसी अन्य वित्तीय शुल्क से सुरक्षित रखने (indemnify) का वचन देता है और सहमत होता है।

8. ग्राहक सहमत है कि वह GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग लागू कानूनों के तहत अवैध हो ऐसी किसी भी ऐसी वस्तु या सेवा के भुगतान के लिए नहीं करेगा। GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग निषिद्ध उत्पादों या सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है। NSDL पेमेंट्स बैंक, वह उचित समझे उस अनुसार ऐसे अवैध लेनदेन को रद्द करने, अस्वीकार करने और/या संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. ग्राहक एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि GPR प्रीपेड कार्ड में किसी भी समय ₹ 2,00,000.00 (मात्र ₹ दो लाख मात्र) से ज़्यादा राशि लोड या रीलोड नहीं की जाएगी।

10. ग्राहक एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि यदि GPR प्रीपेड कार्ड पर लगातार बारह (12) महीनों तक कोई लेनदेन नहीं होता है, तो GPR प्रीपेड कार्ड की वैधता के अधीन, GPR प्रीपेड कार्ड को NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। GPR प्रीपेड कार्ड को NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सत्यापन और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद ही दोबारा सक्रिय किया जा सकता है।

क. ग्राहक GPR प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके किए गए सभी लेन-देन के लिए NSDL पेमेंट्स

बैंक से SMS और/या ईमेल अलर्ट प्राप्त करने के लिए सहमत है। NSDL पेमेंट्स बैंक से प्राप्त SMS या ईमेल अलर्ट में डेबिट (खर्च) और क्रेडिट (लोड) लेन-देन, GPR प्रीपेड कार्ड पर उपलब्ध या बची हुई बैलेंस या NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य जानकारी या विवरण शामिल होंगे।

11. ग्राहक सहमत है कि NSDL पेमेंट्स बैंक अपने विवेकानुसार, अपनी सेवाओं के संबंध में आवश्यक शर्तों पर बाहरी सेवा प्रदाता/एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

#### IV. उल्लंघन

1. यदि ग्राहक द्वारा इन नियमों और शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है, तो NSDL पेमेंट्स बैंक के पास GPR प्रीपेड कार्ड को तत्काल रद्द या समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, और इसके बाद NSDL पेमेंट्स बैंक पर कोई भी दावा, मांग या विवाद मान्य नहीं होगा।

2. ग्राहक NSDL पेमेंट्स बैंक को को ग्राहक द्वारा यहां दिए गए नियमों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी धोखाधड़ी, हानि, क्षति, दावे, जुर्माने, लागत, शुल्क या व्यय (कानूनी परामर्श शुल्क सहित) के लिए क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है और सहमत होता है।

## V. कार्ड रद्द करना/समाप्त करना/बंद करना

1. 'GPR प्रीपेड कार्ड' जारी होने की तिथि से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या कार्ड पर छपी समाप्ति तिथि तक या प्रीपेड ऐप पर दिखाई देने वाली समाप्ति तिथि तक (बिना नंबर वाले कार्ड के मामले में) वैध रहेगा।

2. 'GPR प्रीपेड कार्ड' की वैधता समाप्त होने पर उसे नष्ट करना ग्राहक की ज़िम्मेदारी है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसका उपयोग न कर सके।

3. NSDL पेमेंट्स बैंक अपने विवेकाधिकार पर, लागू कानून के अनुसार, किसी भी 'GPR प्रीपेड कार्ड' को बंद या समाप्त कर सकता है, या ग्राहक को सूचित करके उसकी किसी भी विशेषता में संशोधन कर सकता है। इस संबंध में ग्राहक को भेजी गई कोई भी सूचना, NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा पंजीकृत ईमेल एड्रेस या पते पर भेजे गए ईमेल की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा प्राप्त मानी जाएगी।

4. ग्राहक किसी भी समय [prepaid.service@nsdlbank.co.in](mailto:prepaid.service@nsdlbank.co.in) पर ईमेल लिखकर 'GPR प्रीपेड कार्ड' को समाप्त/बंद करने का अनुरोध कर सकता है। समाप्ति 'GPR प्रीपेड कार्ड' पर बकाया सभी राशियों के भुगतान के अधीन प्रभावी होगी।

5. सेवाओं की समाप्ति, बंद होने या निरस्त होने की स्थिति में, यदि कोई शुल्क लिया गया है, तो उसे वापस नहीं किया जाएगा।

## VI. कार्ड को रीलोड करना

1. 'प्रीपेड GPR कार्ड' को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर/UPI या कैश (NCCMC उपयोग के मामले में) के माध्यम से रीलोड किया जा सकता है।

2. रिलोडेबल PPI पर उपयोग की जाने वाले बैलेंस दिखने में लगने वाला समय रीलोड में उपयोग किए गए भुगतान के साधन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

## VII. सूचनाएं

1. NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा दी जाने वाली कोई भी सूचना, ग्राहक द्वारा NSDL पेमेंट्स बैंक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस या डाक पते पर भेजी गई सूचना या ईमेल की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर प्राप्त मानी जाएगी।

2. ग्राहक द्वारा दी जाने वाली कोई भी सूचना, NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा तभी प्राप्त मानी

जाएगी जब NSDL पेमेंट्स बैंक अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, 401, चौथी मंजिल, टावर 3, वन इंटरनेशनल सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400013 पर ऐसी सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करे।

3. ग्राहक द्वारा इस अनुबंध के तहत दी गई कोई भी सूचना या संचार, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में न हो और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक द्वारा तामील और अभिस्वीकृति न दी गई हो, या यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो, तो अभिस्वीकृति कार्ड न हो।

## VIII. शुल्क

1. शुल्क में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा जीपीआर (GPR) प्रीपेड कार्ड के संबंध में लिए गए कोई भी शुल्क, जिसमें रिप्लेसमेंट (बदलना), रिन्यूअल (नवीनीकरण), हैंडलिंग और अन्य शुल्क शामिल हैं। ये शुल्क गैर-वापसी योग्य और गैर-हस्तांतरणीय प्रकृति के हैं।

ii. विशिष्ट प्रकार के लेन-देन पर सेवा शुल्क/अतिरिक्त शुल्क। लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रकार के लेन-देन पर लागू अतिरिक्त शुल्क/सेवा शुल्क + कर लागू होंगे।

2. स्पष्ट त्रुटि के अभाव में, सभी शुल्क अंतिम और ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे और निर्णायक प्रकृति के होंगे।

3. GPR प्रीपेड कार्ड के संबंध में सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले सभी वैधानिक कर, वस्तु एवं सेवा कर, अन्य सभी शुल्क, प्रभार (स्टाम्प शुल्क और संबंधित पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, सहित) और कर (किसी भी प्रकार के) का भुगतान ग्राहक को करना होगा।

#### IV. उल्लंघन

1. ग्राहक द्वारा इन नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, NSDL पेमेंट्स बैंक को GPR प्रीपेड कार्ड को तत्काल रद्द या समाप्त करने का एकमात्र अधिकार होगा, और NSDL पेमेंट्स बैंक पर कोई और दावा, मांग या विवाद नहीं किया जा सकता है।

2. ग्राहक, NSDL पेमेंट्स बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ग्राहक द्वारा यहां दिए गए नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी धोखाधड़ी, हानि, क्षति, दावे, जुर्माने, लागत, शुल्क या व्यय (कानूनी परामर्श शुल्क सहित) के लिए क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है और सहमत होता है।

3. GPR प्रीपेड कार्ड के संबंध में सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले सभी वैधानिक कर, वस्तु एवं सेवा कर, अन्य सभी शुल्क, प्रभार (स्टाम्प शुल्क और संबंधित पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, सहित) और कर (किसी भी प्रकार के) का भुगतान ग्राहक को करना होगा।

4. को-ब्रांड समझौते में सह-ब्रांड भागीदार और NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा सहमत शर्तों के हिस्से के रूप में दोनों पक्षों के बीच राजस्व साझाकरण शामिल है।

### शुल्क की अनुसूची

#### भौतिक कार्ड के शुल्क

शुल्क का प्रकार	प्रकार	शुल्क *
भौतिक कार्ड जारी करने का शुल्क	एक बार	₹ 199 + GST
GPR कार्ड बदलने का शुल्क	प्रति अनुरोध	₹ 199 + GST
ATM शुल्क - वित्तीय	प्रति लेनदेन	₹ 21 + GST
ATM शुल्क - गैर-वित्तीय	लेनदेन	₹ 8 + GST
कार्ड निष्क्रियता शुल्क	प्रति लेनदेन	₹ 25 + GST
वार्षिक रखरखाव शुल्क	मासिक	₹ 199 + GST
धन हस्तांतरण शुल्क, कार्ड से बैंक एकाउंट में हस्तांतरण	वार्षिक	₹ 25 + GST
* लागू शुल्क		
* और समय-समय पर लागू होने वाले कर		

#### वर्चुअल कार्ड के शुल्क

शुल्क का प्रकार	प्रकार	शुल्क *
वर्चुअल कार्ड जारी करने का शुल्क	एक बार	निःशुल्क

वर्चुअल GPR कार्ड बदलने का शुल्क	प्रति अनुरोध	निःशुल्क
ATM शुल्क - वित्तीय	प्रति लेनदेन	लागू नहीं
ATM शुल्क - गैर-वित्तीय	प्रति लेनदेन	लागू नहीं
कार्ड निष्क्रियता शुल्क	मासिक	₹ 25 + GST
वार्षिक रखरखाव शुल्क	वार्षिक	लागू नहीं
धन हस्तांतरण शुल्क, कार्ड से बैंक एकाउंट में धन हस्तांतरण	प्रति लेनदेन	₹ 25 + GST
* लागू शुल्क		
* और समय-समय पर लागू होने वाले कर		

## IX. ATM से पैसे निकालना

ग्राहक GPR कार्ड का उपयोग सदस्य बैंकों के ATM से पैसे निकालने के लिए कर सकता है।

हालांकि, किसी भी समय निकाली जा सकने वाली कुल राशि GPR प्रीपेड कार्ड में उपलब्ध शेष

राशि या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

## X. विवादित लेनदेन

1. NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा भुगतान के लिए प्राप्त कोई भी शुल्क या लेनदेन पर्ची या अन्य भुगतान अनुरोध ऐसे शुल्क का निर्णायक प्रमाण होगा, जब तक कि जीपीआर प्रीपेड कार्ड खो न जाए, चोरी न हो जाए या ग्राहक द्वारा धोखाधड़ी से दुरुपयोग न किया जाए और इसका सबूत न दिया जाए।

2. भुगतान के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक द्वारा प्राप्त कोई भी शुल्क या ट्रांजेक्शन स्लिप या अन्य भुगतान की मांग, उस शुल्क का निर्णायक प्रमाण तब तक होगा जब तक कि GPR प्रीपेड कार्ड खो न गया हो, चोरी न हुआ हो या उसका धोखाधड़ी से दुरुपयोग न हुआ हो और ग्राहक द्वारा इसका प्रमाण न दिया गया हो।

## XI. वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता

खरीदी गई वस्तुओं या प्राप्त सेवाओं के संबंध में किसी भी व्यापारी संस्थान के साथ कोई भी विवाद या शिकायत ग्राहक को सीधे व्यापारी संस्थान के साथ हल करनी चाहिए।

## XII. खोया हुआ, चोरी हुआ या दुरुपयोग किया गया कार्ड

1. यदि GPR प्रीपेड कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ग्राहक को तुरंत बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को इसकी सूचना देनी होगी और gpr प्रीपेड कार्ड को तुरंत निलंबित करने का अनुरोध करना होगा। यदि NSDL पेमेंट्स बैंक को यह पता चलता है या कोई जानकारी मिलती है कि ग्राहक ने GPR प्रीपेड कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में ऊपर बताए गए चरणों का पालन करने में लापरवाही बरती है, तो NSDL पेमेंट्स बैंक के पास ऐसे GPR प्रीपेड कार्ड को रद्द करने या समाप्त करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

2. ग्राहक द्वारा GPR प्रीपेड कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना दिए जाने के बाद, उस पर किए गए किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए ग्राहक उत्तरदायी नहीं होगा।

3. ग्राहक द्वारा सूचना दिए जाने के बाद GPR प्रीपेड कार्ड पर उत्पन्न सभी देनदारियों की ज़िम्मेदारी NSDL पेमेंट्स बैंक की होगी। हालांकि, GPR प्रीपेड कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने

या दुरुपयोग होने की रिपोर्ट करने के बाद, रिपोर्टिंग के समय और/या GPR प्रीपेड कार्ड पर किए गए लेनदेन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, NSDL पेमेंट्स बैंक के सभी निर्णय अंतिम होंगे और ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे।

### XIII. प्रकटीकरण


1. ग्राहक अपने बारे में और GPR प्रीपेड कार्ड के उपयोग से संबंधित जानकारी किसी अन्य बैंक, वित्तीय, वैधानिक या नियामक प्राधिकरण के साथ साझा करने की सहमति देता है।

2. ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि NSDL पेमेंट्स बैंक किसी भी अन्य बैंक, वित्तीय, वैधानिक या नियामक प्राधिकरण को ग्राहक की किसी भी चूक और/या GPR प्रीपेड कार्ड के उपयोग की रिपोर्ट कर सकता है। NSDL पेमेंट्स बैंक ऐसे बैंक या वित्तीय, वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों का विवरण, जिसमें प्रकटीकरण की सीमा भी शामिल है, ग्राहक को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

3. ग्राहक एतद्वारा NSDL पेमेंट्स बैंक और उसके एजेंटों को ग्राहक के विवरण और भुगतान के इतिहास से संबंधित सभी जानकारी NSDL पेमेंट्स बैंक की समूह कंपनियों या संबद्ध संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान, साझा करने या देने के लिए अधिकृत करता है।

#### XIV. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

इन नियमों और शर्तों से संबंधित सभी विवाद भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होंगे और मुंबई की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।



## संक्षेपाक्षर

क्रमांक.	संक्षेपाक्षर	विवरण
1	GPR	जनरल पर्पस रिलोडेबल
2	EDC	इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर
3	POS	प्वाइंट ऑफ सेल
4	PG	पेमेंट गेटवे
5	ECOM	ई-कॉमर्स
6	ATM	ऑटोमेटेड टेलर मशीन
7	NCMC	नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
8	T & C	नियम और शर्तें
9	KYC	अपने ग्राहक को जानें
10	EDC	इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर

-दस्तावेज का अंत-

Registered & Corporate Office Address:

4th Floor, Tower 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 013.

CIN: U65900MH2016PLC284869

